

आयुक्त उपनिवेशन,
बीकानेर ।

विषय:- इंदिरा गांधी नहर के किनारे वन विभाग की भूमि आर्वाटन करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निम्नानुसार यह है कि इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर के किनारे वन विभाग की वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए भूमि आर्वाटन करने हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं उप निवेशन विभाग के अधिकारी सहित सात भूमि का निधारित सीमा व शर्तों को निम्नांकित है, में ध्यान कर रहे हैं। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवाये ताकि आग्रह कार्रवाई की जा सके:-

अनिवार्य सीमा:-

1. मुख्य किनासा है	200 मीटर बायें	100 मीटर दायें
2. भ्रान्त नहर है	100 मीटर बायें	50 मीटर दायें
3. धितरिका है	50 मीटर बायें	50 मीटर दायें
4. गाँव नहर छतपाटि	25 मीटर बायें	25 मीटर दायें

अनिवार्य सीमा के अतिरिक्त:-

1. मुख्य नहर	1000 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
2. भ्रान्त नहर	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
3. धितरिका	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
4. गाँव नहर छतपाटि	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें

इस संबंध में निम्न नियम विधे जते:-

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नहरों में प्रस्तावित अनिवार्य दूरी की सीमा में स्थित राजकीय कमाण्ड व अकमाण्ड भूमि को आरक्षित करके आर्वाटन उपनिवेशन विभाग, वन विभाग को करेगा । इन पट्टियों में व्यवस्थित भूमि के संबंध में 2 बीघा अभिलेख भूमि के दफ्ते में । बीघा स्थित भूमि तथा एक बीघा स्थित भूमि के दफ्ते में एक बीघा स्थित भूमि के आस-पास में राधादले में भूमि धारक की सहमति लेकर अन्य जगह भूमि दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जो भूमि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग को होगी वह भूमि वन विभाग इस विभाग से नियमानुसार प्राप्त करेगा ।
2. अनिवार्य भूमि को प्रस्तावित दूरी की सीमा में अतिरिक्त भूमि को प्रस्तावित दूरी की सीमा तक केवल अकमाण्ड भूमि उपनिवेशन विभाग वन विभाग को आर्वाटन करेगा । इन पट्टियों में निजी भूमि/राजकीय कमाण्ड भूमि वन विभाग द्वारा नहीं जायेगी ।
3. अनिवार्य सीमा में स्थित पट्टियों में उपरोक्तानुसार राजकीय भूमि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की भूमि को लेकर । वन विभाग के लिए आरक्षित की जाती है। उपनिवेशन आयुक्त द्वारा उक्तानुसार आरक्षित किये गये क्षेत्र में राजकीय भूमि का कारतकारों को आर्वाटन नहीं किया जायेगा । दूसरे शब्दों में अनिवार्य पट्टी में कमाण्ड व अकमाण्ड दोनों प्रकार की भूमि का कृषकों को आर्वाटन नहीं किया जायेगा । अतिरिक्त भूमि की पट्टी में यदि अकमाण्ड भूमि का कृषकों को आर्वाटन नहीं किया जायेगा । इन पट्टी में कमाण्ड भूमि का आर्वाटन कृषकों को करने में कोई रोक नहीं होगी ।

4. वन विभाग व उपनिवेशन विभाग के अधिकारीगण पट्टियों में आपसी भाव
भूमि का तत्पुस्त निरीक्षण एक माह में पूर्ण करें। जिससे कानूनव्यवस्था वगैरह
भूमि आर्घटन के निश्चित प्रस्ताव आगुस्त, उपनिवेशन विभाग जो भेजेगा।
तत्पश्चात् उपनिवेशन आगुस्त राज्य सरकार को निश्चित भूमि के आर्घटन
निष्कारित करेगा। निष्कारित करने पर राज्य सरकार द्वारा अन्तर्धान का
सुधारोपन एवं वन विकास कार्य हेतु वन विभाग को भूमि का आर्घटन करेगा।
यह भी शर्त होगी कि राज्य सरकार अन्य विकास कार्य हेतु अन्तर्धित भूमि
विभाग से कभी भी वापस ले सकती है तथा उक्त पर केन्द्रीय वन अधिनियम, वन
लागू नहीं करारोगा।

5. आगुस्त, उपनिवेशन एवं वन विभाग के अधिकृत अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे
तत्पश्चात् निम्न स्थानों पर भूमि के आर्घटन एवं तत्पुस्त का निरीक्षण करेंगे।
किसी व किस प्रकार आर्घटन की जाये ताकि जहाँ अधिक आवश्यकता हो वहाँ
तत्पुस्त का कार्य धरिपाता से हाथ में लिया जा सके।

6. 3 एक्कोप प्लॉट के आल-पास तथा अनुगुप्त भूमि व तत्पुस्त के निरीक्षण और की
भूमि वन विभाग को वन विकास कार्य व सुधारोपन हेतु आर्घटन करने के संबंध में
यह सहमत किया गया कि इस संबंध में वन विभाग ने अपवादा नामगी प्रस्तुत की
है। वन विभाग पूर्ण व निश्चित धिधरण की सुचना उक्त निदेशन विभाग को
उपलब्ध करारोगेगा। जिससे उक्त पर निश्चित निर्णय लिया जा सके।
7. इस विभाग के वन क्र. 3454/राज/उप/87 दिनांक 4.4.80 के अधिकृष्टन में यह
आदेश जारी किया जाता है।

8/5

13/5/80

शासन उप सचिव.

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन सचिव, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. राक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव.

// कार्यालय प्रधान मुख्य वन सचिव, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांक: एफ 2117190-91/विभाग/प्रमुख/ 17/1/80 दिनांक: 8/5/80

- प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
 2. आगुस्त, निश्चित क्षेत्र विकास विभाग, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
 3. वन सचिव, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज प्रथम, बीकानेर।
 4. वन सचिव, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज द्वितीय, बीकानेर।

7/5/80

मुख्य वन सचिव, परियोजना,
राजस्थान, जयपुर।